

## निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व वैंक की संपूर्ण स्वामित्वयाली सक्योगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

\_\_www.dicgc.org.in\_\_

संदर्भ सं. डीआईसीजीसी/आईओडी/ /05.60.999/2017-18

02 **जून**, 2017

सभी बीमाकृत बैंक	All Insured Banks
महोदय/महोदया,	Dear Sir/Madam
डीआईसीजीसी को भुगतान किए गए प्रीमियम हेतु सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र की प्रस्तुति डीआईसीजीसी द्वारा पूर्व में अर्थात 30 अगस्त 2010 तथा	Submission of Statutory Auditor Certificate for Premium paid to DICGC In continuation of earlier circulars issued by DICGC
21 सितंबर 2011 को जारी किए गए परिपत्रों के क्रम में बैंकों को पुनः निर्देश दिया जाता है कि वह पिछली दोनों छमाहियों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष की 30 जून की तारीख तक सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकों द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक को दोनों छमाहियों, अर्थात सितंबर को समाप्त छमाही (अप्रैल – सितंबर) जिसकी जमाराशि का आधार 31 मार्च है तथा मार्च को समाप्त छमाही (अक्टूबर – मार्च) जिसकी जमाराशि का आधार 30 सितंबर है, की निर्धारणीय जमाराशि पर भुगतान किए गए प्रीमियम को प्रमाणित करना आवश्यक होता है। त्वरित संदर्भ के लिए निर्धारित प्रारूप पुनः संलग्न किया गया है। डीआईसीजीसी के सभी सदस्य बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वह डीआईसीजीसी द्वारा नियमित अंतराल पर जारी किए	on August 30, 2010 and September 21, 2011, banks are once again advised to ensure submission of Statutory Auditor's Certificate by June 30 <sup>th</sup> of financial year in progress for both previous half years. As you are aware, Statutory Auditors appointed by banks are required to certify Premium paid on the Assessable Deposits of both half years i.e. Half year ending September (April-September), deposit base for which is 31 <sup>st</sup> March and half year ending March (October-March), deposit base for which is 30 <sup>th</sup> September. Prescribed format is attached herewith once again for ready reference.  All member banks of DICGC are advised to adhere to guidelines, circulars etc. issued by DICGC on regular intervals.
जाने वाले दिशानिर्देशों, परिपत्रों आदि का अनुपालन करें।	
भवदीय,	Yours faithfully,
(एम. कृपानंदम) महाप्रबंधक	(M. Krupanandam) General Manager